झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–76 वर्ष 2020

जट्टा भुईयां उर्फ सुनील जी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री एस0के0 सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्री अनूप पवन टोपनो, ए0पी0पी0।

05/दिनांकः 01.10.2020

1. कार्यालय श्री शिव कुमार शर्मा का नाम हटायें और मुकदमों की सूची में राज्य के अधिवक्ता के रूप में श्री अनूप पवन टोपनो के नाम का उल्लेख करें।

2. यह पुनरीक्षण, आपराधिक (किशोर बेल) अपील संख्या 60/2019 में पारित दिनांक 03.12.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 147, 148, 149, 353 और 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएँ 3 और 4, सी0एल0ए0 की धारा 17, शस्त्र अधिनियम की धाराएँ 25 (1–बी) ए, 26, 27 और 35 के अधीन पंजीकृत मानातु थाना काण्ड संख्या 77/2005 (जी0आर0 सं0 1956/2005 के अनुरूप) के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–I–सह–बाल न्यायालय, डाल्टेनगंज,

पलामू ने याचिकाकर्त्ता (विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित या पाये जाने वाले किशोर) के जमानत प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए0पी0पी0 को सुना गया। आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्त्ता की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि गवाहों ने बयान दिया है कि कम उम्र में याचिकाकर्त्ता चरमपंथियों के सम्पर्क में आ गया था। हालांकि, यह आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है, सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्त्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और वह समाज में फिर से शामिल होना चाहता है और एक सामान्य जीवन जीना चाहता है।

उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्त्ता को मानातु थाना काण्ड संख्या 77/2005, जी0आर0 सं0 1956/2005 के अनुरूप के संबंध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, डाल्टेनगंज, पलामू की संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार रूपये) की जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त पर कि जमानतदारों में से एक पिता या करीबी रिश्तेदार होगा जो वचन देगा (i) याचिकाकर्त्ता के अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए, (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर याचिकाकर्त्ता किसी असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में नहीं आए और (iii) प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष किशोर/याचिकाकर्त्ता को प्रस्तुत करेंगे जब भी बोर्ड द्वारा उनको निर्देश दिया जाता है। प्रोबेशन अधिकारी आवयक कार्यात के लिए पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में, किशोर न्याय बोर्ड (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्त्ता/किशोर जांच में सहयोग करेंगे और जांच के समापन तक बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे जब भी उनको निर्देश दिया जाता है।

4. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, पुनरीक्षण, एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)